



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-12032025-261572
CG-MH-E-12032025-261572

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]
No. 167]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2025/फाल्गुन 20, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2025/PHALGUNA 20, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 11 मार्च, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/235—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (छ) तथा धारा 12क के खंड (घ) एवं खंड (ड) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से नब्बेवें दिन लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 में, -
 - विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

(1) खंड (ढ) में -

- (क) उप-खंड (iv) में, शब्दों तथा चिहनों “व्ययन (डिस्पोज़ल) तथा कारबार का विस्तार और ऐसे अन्य संव्यवहार” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “बिक्री आदि (डिस्पोज़ल / व्ययन) तथा कारोबार के विस्तार, ऑर्डर / ठेके (कॉण्ट्रैक्ट) मिलने या उसके रद्द होने (जो कामकाज की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा न हो) से संबंधित जानकारी और ऐसे ही दूसरे लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजेक्शन) से संबंधित जानकारी” आ जाएँगे;
- (ख) उप-खंड (v) में, शब्दों तथा चिह्न “मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन; और” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / की मैनेजरियल पर्सोनल) में बदलाव (किंतु इसमें उनके सेवानुवृत्त होने या उनका कार्यकाल समाप्त होने की वजह से हुआ बदलाव शामिल नहीं है) से संबंधित जानकारी और लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) या सेक्रेटेरियल ऑडिटर द्वारा त्यागपत्र दिए जाने से संबंधित जानकारी;” आ जाएँगे;
- (ग) उप-खंड (v) के बाद निम्नलिखित उप-खंड और स्पष्टीकरण जोड़े जाएँगे:
- “(vi) रेटिंग (रेटिंगों) [ईएसजी रेटिंग (रेटिंगों) को छोड़कर] में बदलाव से संबंधित जानकारी;
- (vii) कितना पैसा (फंड) जुटाए जाने का प्रस्ताव है, उससे संबंधित जानकारी;
- (viii) उन करारों (एग्रीमेंट) से संबंधित जानकारी [फिर चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए], जिनकी वजह से कंपनी के प्रबंधन (मैनेजमेंट) या नियंत्रण पर असर पड़ सकता हो;
- (ix) कंपनी, उसके प्रोमोटर (संप्रवर्तक), निदेशक, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजरियल पर्सोनल) या सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) द्वारा की गई धोखाधड़ी या की गई चूकों से संबंधित जानकारी अथवा कंपनी के प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजरियल पर्सोनल), उसके प्रोमोटर (संप्रवर्तक) या निदेशक की गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी, फिर चाहे ऐसा भारत में हुआ हो या भारत के बाहर हुआ हो;
- (x) बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कर्ज आदि के संबंध में समाधान योजना (रेजोल्यूशन प्लान) / पुनर्संरचना (रीस्ट्रक्चरिंग) या एक बार में ही किए गए निपटान (वन टाइम सेटलमेंट) से संबंधित जानकारी;
- (xi) किसी पक्ष (पार्टी) / किन्हीं लेनदारों (क्रेडिटर) द्वारा परिसमापन (वाइंडिंग-अप) हेतु दाखिल की गई अर्जी स्वीकार करने से संबंधित जानकारी और कारपोरेट आवेदक या लेनदारों (फाइनेंशियल क्रेडिटर) द्वारा कंपनी के खिलाफ कारपोरेट देनदार (ऋणी) के तौर पर कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (कारपोरेट इन्सॉल्वेन्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस) शुरू करने के लिए दाखिल किया गया आवेदन न्यायाधिकरण (अधिकरण / ट्रायब्युनल) द्वारा स्वीकार किए जाने से संबंधित जानकारी, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) के तहत समाधान योजना (रेजोल्यूशन प्लान) को मंजूरी प्रदान किए जाने से संबंधित जानकारी या उसे नामंजूर किए जाने से संबंधित जानकारी;
- (xii) कंपनी या किसी दूसरी एंटीटी द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट (फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) शुरू किए जाने से संबंधित जानकारी [जो यह पता लगाने के उद्देश्य से शुरू किया जाए कि वित्तीय विवरणों में कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई, पैसों का गबन तो नहीं किया गया, पैसों (फंड) को कहीं बेईमानी से निकाला तो नहीं गया या कहीं और तो नहीं लगाया गया] और अंतिम फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने से संबंधित जानकारी;

- (xiii) कंपनी के खिलाफ या, कंपनी के सिलसिले में, उसके निदेशकों, उसके प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक), उसके प्रोमोटर (संप्रवर्तक) या उसकी सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सिडियरी) के खिलाफ किसी विनियामक प्राधिकरण (रेग्यूलेटरी अथॉरिटी), कानूनी प्रावधानों के तहत गठित किसी प्राधिकरण (स्टैट्यूटरी अथॉरिटी), प्रवर्तन प्राधिकरण (इन्फोर्समेंट अथॉरिटी) या न्यायिक निकाय (ज्यूडिशियल बॉडी) द्वारा, भारत में या किसी दूसरे देश में, कार्रवाई (कार्रवाईयाँ) शुरू किए जाने या आदेश पारित किए जाने से संबंधित जानकारी;
- (xiv) किसी मुकदमे (किन्हीं मुकदमों) या किसी विवाद (किन्हीं विवादों) के ऐसे किसी नतीजे से संबंधित जानकारी, जिसका असर कंपनी पर पड़ सकता हो;
- (xv) कंपनी द्वारा किसी अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) के लिए गारंटी देने या उसकी क्षतिपूर्ति करने या उसका जमानतदार (प्रतिभू) बनने (फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, और जो कामकाज की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा न हो) से संबंधित जानकारी;
- (xvi) मुख्य लाइसेंस या विनियामक (रेग्यूलेटरी) मंजूरीयाँ (अनुमोदन) प्रदान किए जाने, उन्हें वापस लिए जाने, उन्हें वापस सौंपे जाने (अभ्यर्पित / सरेंडर किए जाने), उन्हें रद्द या निलंबित किए जाने से संबंधित जानकारी।

स्पष्टीकरण-1: उप-खंड (ix) के प्रयोजनार्थ:

- क. 'धोखाधड़ी (कपट)' का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ रिलेटिंग टू द सिक्यूरिटीज़ मार्केट) रेग्यूलेशन्स, 2003] के विनियम 2(1)(ग) में दिया हुआ है।
- ख. 'चूक' का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्कलोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] की अनुसूची-III के भाग-क के पैरा-क के खंड 6 में दिया हुआ है।

स्पष्टीकरण-2: इस खंड में यू.पी.एस.आई. (अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी) के तौर पर जिनसे संबंधित जानकारी आदि का जिक्र किया गया है, उन्हें पहचानने के लिए वही दिशानिर्देश (मार्गदर्शक सिद्धांत / गाइडलाइन्स) लागू होंगे, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्कलोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] की अनुसूची-III के भाग-क के पैरा-क में महत्ता (मटीरियलिटी) के संबंध में निर्धारित किए गए हैं (जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) तथा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 की अनुसूची-III के भाग-क के पैरा-ख में महत्ता (मटीरियलिटी) के संबंध में निर्धारित किए गए हैं।”

II. विनियम 3 में, उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा:

“परंतु यह कि संगठन (संस्था) के बाहर से मिलने वाली जानकारी स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस में, उस जानकारी के मिलने की तारीख से 2 कैलेंडर दिनों के भीतर, डाली जा सकेगी।”

III. अनुसूची-ख में, खंड 4 में, उप-खंड (1) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा:

“परंतु यह कि सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी के बाहर से मिलने वाली यू.पी.एस.आई. (अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी) के मामले में, ट्रेडिंग विंडो (व्यापार पटल) को बंद करना जरूरी नहीं होगा।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./1027/2024-25]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/21/85, द्वारा 15 जनवरी 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 तत्पश्चात्,-
 - i. 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/59, द्वारा
 - ii. 21 जनवरी, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/02, द्वारा
 - iii. 25 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/23, द्वारा
 - iv. 17 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/32, द्वारा
 - v. 17 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/23, द्वारा
 - vi. 29 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/38, द्वारा
 - vii. 26 अप्रैल, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/17, द्वारा
 - viii. 5 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/37, द्वारा
 - ix. 24 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/108, द्वारा
 - x. 17 मई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/181, द्वारा
 - xi. 25 जून, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/184, द्वारा
 - xii. 6 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/216, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 11th March 2025

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PROHIBITION OF INSIDER TRADING)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2025**

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/235.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (g) of sub-section (2) of section 11 and clauses (d) and (e) of section 12A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the ninetieth day from the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015,—
 - I. in regulation 2, sub-regulation (1),
 - (1) in clause (n)—
 - (a) in sub-clause (iv), after the words “expansion of business” and before the words and symbol “and such other transactions;”, the words and symbols “, award or termination of order/contracts not in the normal course of business” shall be inserted;
 - (b) in sub-clause (v), after the words “changes in key managerial personnel” the symbol “; and” shall be substituted with the words and symbols “, other than due to superannuation or end of term, and resignation of a Statutory Auditor or Secretarial Auditor;”;
 - (c) after sub-clause (v) the following sub-clauses and Explanation shall be inserted:

“

 - (vi) change in rating(s), other than ESG rating(s);
 - (vii) fund raising proposed to be undertaken;
 - (viii) agreements, by whatever name called, which may impact the management or control of the company;
 - (ix) fraud or defaults by the company, its promoter, director, key managerial personnel, or subsidiary or arrest of key managerial personnel, promoter or director of the company, whether occurred within India or abroad;
 - (x) resolution plan/ restructuring or one time settlement in relation to loans/borrowings from banks/financial institutions;
 - (xi) admission of winding-up petition filed by any party /creditors and admission of application by the Tribunal filed by the corporate applicant or financial creditors for initiation of corporate insolvency resolution process against the company as a corporate debtor, approval of resolution plan or rejection thereof under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;
 - (xii) initiation of forensic audit, by whatever name called, by the company or any other entity for detecting mis-statement in financials, misappropriation/ siphoning or diversion of funds and receipt of final forensic audit report;
 - (xiii) action(s) initiated or orders passed within India or abroad, by any regulatory, statutory, enforcement authority or judicial body against the company or its directors, key managerial personnel, promoter or subsidiary, in relation to the company;
 - (xiv) outcome of any litigation(s) or dispute(s) which may have an impact on the company;
 - (xv) giving of guarantees or indemnity or becoming a surety, by whatever named called, for any third party, by the company not in the normal course of business;
 - (xvi) granting, withdrawal, surrender, cancellation or suspension of key licenses or regulatory approvals.

”

Explanation 1- For the purpose of sub-clause (ix):

- a. 'Fraud' shall have the same meaning as referred to in Regulation 2(1)(c) of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003.
- b. 'Default' shall have the same meaning as referred to in Clause 6 of paragraph A of Part A of Schedule III of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Explanation 2- For identification of events enumerated in this clause as unpublished price sensitive information, the guidelines for materiality referred at paragraph A of Part A of Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as may be specified by the Board from time to time and materiality as referred at paragraph B of Part A of Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 shall be applicable."

- II. in regulation 3, after sub-regulation (5) the following proviso shall be inserted:
"Provided that entry of information, not emanating from within the organisation, in structured digital database may be done not later than 2 calendar days from the receipt of such information."
- III. in Schedule B, in clause 4 after sub-clause (1) the following proviso shall be inserted
"Provided that, for unpublished price sensitive information not emanating from within the Listed Company, trading window may not be closed."

BABITHA RAYUDU, Executive Director
[ADVT.-III/4/Exty./1027/2024-25]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was published in the Gazette of India on January 15, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/21/85.
2. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was subsequently amended on, -
 - i. December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/59.
 - ii. January 21, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/02.
 - iii. July 25, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/23.
 - iv. September 17, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Third Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/32.
 - v. July 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2020/23.
 - vi. October 29, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2020/38.
 - vii. April 26, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2021/17.
 - viii. August 05, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2021/37.
 - ix. November 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2022/108.
 - x. May 17, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/181.
 - xi. June 25, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/184.
 - xii. December 06, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD—NRO/GN/2024/216.